

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक-एफ.16()भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/

दिनांक : मार्च, 2008

संपरिवर्तन आदेश

श्री दयालचन्द पुत्र श्री हणमान जाति जाट निवासी कैरवाली तहसील नीमकाथाना के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसका द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री दयालचन्द पुत्र श्री हणमान जाति जाट निवासी कैरवाली तहसील नीमकाथाना
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का चौरा	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम कैरवाली, तहसील नीमकाथाना
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ख0न0 842 रकबा 0.48 हेक्टेयर एवं ख0न0 837 रकबा 0.68 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ख0न0 842 रकबा 0.48 हेक्टेयर में से 200 वर्गमीटर एवं ख0न0 837 रकबा 0.68 है0 में से 2300 वर्गमीटर कुल 2500 वर्गमीटर का संपरिवर्तन।
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए सतस्य नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	रूपये 5.00 प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर के 12,500/रु.
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चालान नं. 572 दिनांक 5.3.08 राशि रूपये 12,500/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड काग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

.....2



सांस्थानिक प्रयोजन
का अधिकारी का दायरा

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों तथा शिक्षण व अनुसंधान संस्थान का निर्माण यावत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण करवाया जा सकेगा एवं नक्शा नियम 9(2) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पास करवाना होगा।
3. कुल संपरिवर्तित भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था एवं पॉक, वाहन पार्किंग के लिए खुला रखना होगा।
4. यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जावेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार नक्शा पास होने से पूर्व निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

sd-
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)

क्रमांक:- एफ.16(63) भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/07/1468-76 दिनांक:- 14 मार्च, 2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण), विभाग, राज 0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
5. तहसीलदार, नीमकाथाना को नक्शा ट्रेस की प्रति सहित।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, कोटडा पं.सं. नीमकाथाना
7. श्री दयालचन्द पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी कैरवाली तहसील नीमकाथाना
8. रक्षित पत्रावली



दावेन
संघटक नोड का पास

3
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर)